न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व वाद / 74 / 2017

धनसुख पुत्र डेडराज जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गनेड़ी, उपतहसील नेछवा, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

–वादी

बनाम

1. सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, सीकर जिला सीकर
2. तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
3. नायब तहसीलदार नेछवा, उपतहसील नेछवा, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
4. पटवारी हल्का गनेड़ी, उपतहसील नेछवा, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज0

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, रिकार्ड दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

–:निर्णय:– **दिनांक–17.05.2018**

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में सक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है यह कि आराजी खसरा नम्बर 340 रकबा 0.89 हैक्टेयर वाके ग्राम गनेड़ी उपतहसील नेछवा, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर राज. में अवस्थित है जिसके पूर्वी तरफ खसरा नम्बर 339 अवस्थित है जिन्हें आगे वाद–पत्र में वादग्रस्त आराजियात के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।

यह कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 340 रकबा 0.89 हैक्टेयर वाके ग्राम गनेड़ी उपतहसील नेछवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर राज. में अवस्थित है जिसके पूर्वी तरफ खसरा नम्बर 339 अवस्थित है जो वाके ग्राम गनेड़ी की तन में अवस्थित हे जिनमें खसरा नम्बर 340 वादी के एकांतिक कब्जे, काश्त, उपयोग, उपभोग व खातेदारी की आराजी है जिस पर वादी बदस्तूर काबिज, काश्त है एवं इसके पूर्वी तरफ खसर नम्बर 339 अवस्थित है इसी अनुसार आराजियात की नींव–सींव कायम है। कालांतर में भू–सेटलमेंट विभाग प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा सर्वे सीट नक्शा में आराजियात की सीमाओं को बिना किसी युक्ति युक्त कारण के अपनी मनमर्जी से तोड़ मरोड़ कर पूर्ण रुप से परिवर्तित कर दिया जिसमें वादी के खसरा नम्बर 340 को उतरी तरफ स्थापित करते हुए नये खसरा नम्बर 601 बना दिया व खसरा नम्बर 339 को पूर्णतया दक्षिणी स्थापित करते हुए नये खसरा नम्बर 598 बना दिया जबकि वादी व खसरा नम्बर 339 के खातेदार पूर्वव्रत बने नजरी नक्शा के अनुसार ही काबिज, काश्त रहे है एवं अपनी नींव–सींव डाल रखी है। मनमर्जी से किये गये खसरा नम्बर की सीमा के वर्गीकरण से वादी को असीम क्षति हो रही है व वादी का खसरा रास्ते के टच में है जबकि खसरा नम्बर 339 वादी के खसरा नम्बर के पूर्वी तरफ अवस्थित है तथा इसी अनुसार काबिज, काश्त है । इस कारण वादी को अपूर्णीय क्षति कारित हो रही है एवं वादी के खेत की सीमा की वस्तुसििति को परिवर्तित करने से वादी को काफी अपूर्णय क्षति कारित हो रही है जिसकी क्षति पूर्ति भवि य में किसी भी श्रोत से संभव नहीं होगी तथा इसी परिवर्तित रिकार्ड को प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 अमल करने करवाने को आमादा है प्रतिवादीगण अपने इस कुउदेश्य में सफल हो गये तो वादी को असीम क्षति कारित होगी तथा अपनी बेसकीमती भूमि का नजरी नक्शा सीमांकन पूर्ण रुप से परिवर्तित हो जायेगा जिससे वादी की बेस कीमती जमीन बर्बाद हो जायेगी स्थिति में वादी के खसरा नम्बर 340 की पूर्व स्थिति की ही सीमा को मान्यता दी जाकर उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड कायम रहे व प्रतिवादी संख्या 1 व इनके विभाग द्वारा मनमर्जी पूर्व तरीके से लिये गये निर्णय को निरस्त किया जाकर पूर्ववृति नजरी नक्शों की सीमाओं का ही अंकन नक्शा ट्रेस में फरमाया जावें व प्रतिवादीगण को इस हेतु जरिये स्थाई निषधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावें किवे वादी के एकांतिक उपयोग, उपभोग व कब्जे, काश्त के अनुसार ही सीमाओं का निर्धारण मानते हुए इनके उपयोग, उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें एवं रिकार्ड तथा मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

यह कि नये सर्वे सीट प्रतिवादीगण द्वारा किये गये सरहद खेत खसरा नम्बर 340 व 339 के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी प्रकार से सीमांकंन की जांच किये बिना ही अपनी मनमर्जी से सीमाएं अंकित कर दी जबकि वादी काफी समय से ही अपनी भूमि पर बदस्तूर नक्शा ट्रेस के अनुसार काबिज है इसलिये आराजियात को मुताबिक पूर्ववृति नक्शा ट्रेस कायम किये जाने की उद्घोषणा फरमायी जावें तथा वर्तमान नक्शा ट्रेस सर्वे सीट में अंकित सीमाकंन व भौतिक स्थिति के नये बदलाव को निरस्त किया जाकर पूर्ववृति सीमाकंन व नक्शा ट्रेस को कायम फरमाया जावें।

यह कि वादी आराजी खसरा नम्बर 340 का रिकार्डेड काबिज, खातेदार, काश्तकार होने के आधार पर व पटवारी हल्का के द्वारा नक्शा ट्रेस में दर्शित रास्ते के पास की भूमि है जिसको बिना किसी युक्ति युक्त कारण के खसरा नम्बर 339 के खातेदारों को नाजायज फायदा उठाते

Web Copy - Not Official

हुए आराजियात की सरहद व उसकी भौतिक स्थिति को परिवर्तित किया है जिनको खातेदारान की सहमति के बिना ऐसा करने का कोई विधिक हक, अधिकार नहीं था एवं वादी के हक, अधिकारों के समक्ष कतई अकृत, शून्यव प्रभावहीन है इसलिये प्रतिवादीगण सेटलमेंट के आधार पर नये अंकन का राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं करें इसके लिये इन्हें जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जाना आवश्यक है।

यह कि वादी आराजी खसरा नम्बर 340 का रिकार्डड काबिज, खातेदार, काश्तकार होने के कारण वादी का वाद प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धांत वादी के पक्ष में बखूबी साबित होने से वादी का वाद पूर्णतया सबल है व प्रतिवादीगण पूर्ववृति नक्शा ट्रेस के अनुसार वर्णित आराजियात की सरहद के संबंध में कोई भी राजस्व कर्मचारी अधिकारी वादी के पास न तो आये और न ही वादी को काई सहमति स्वीकृति ही ली गयी बल्कि अपनी मनमर्जी से बनाए गये सर्वे सीट नक्शा में वादी के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 340 की भौतिक स्थिति को पूर्व रुप से परिवर्तित कर दिये जाने को निरस्त करवायें जाने का अधिकार है।

यह कि वादी को प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा एलानियां रुप से धमकी देने पर कि आपका नये नक्शे के अनुसार रिकार्ड परिवर्तित होगा तब राजस्व रिकार्ड की नकल लेने के पश्चात दिनांक 22.05.2017 को वादी को वाद कारण व हकनालिस हासिल हुआ तथा वाद संस्थित करना आवश्यक हुआ।

यह कि वाद–पत्र में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को राजस्व कर्मचारी, अधिकारी, भू–धारक होने के कारण व अपने यहां से राजस्व रिकार्ड परिवर्तित करने को आमादा होने के कारण इन्हें आवश्यक पक्षकार बनाया गया है लेकिन इनके खिलाफ वाद प्रस्तुति के दो माह पूर्व विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन वाद की अतिआवश्यक प्रकृति को देखते हुए बिना विधिक नोटिस दिये ही वाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है जिसकी अनुमति हेतु अलग से आवेदन अन्तर्गत धारा 80 (2) सी. पी. सी. का प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त कर ली गयी है। यह कि वादग्रस्त आराजियात ग्राम गनेड़ी की तन अवस्थित होने के कारण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को हासिल है। यह कि वाद–पत्र उचित न्यायशुल्क पर सावधि सादर प्रस्तुत है।

यह कि वादी/प्रार्थी इस्तदुआ करता है– (क) कि वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस कदर डिक्री फरमाया जावें कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 340 रकबा 0.89 हैक्टेयर वाके ग्राम गनेड़ी, उपतहसील नेछवा, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर राज. में अवस्थित है जिसके पूर्वी तरफ खसरा नम्बर 339 अवस्थित है जो मौके पर भी इसी अनुसार है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा व अपने विभाग द्वारा अपनी मनमर्जी से नये सर्वे सीट नक्शें में आराजी खसरा नम्बर 340 जिसके नये खसरा 601 कायम करते हुए उसकी समस्त सरहद सीमाओं का समाप्त करते हुए एकदम उतरी तरफ अपनी मनमर्जी से कायम करके खसरा नम्बर 339 जिसके नये खसरा नम्बर 598 है को दक्षिणी तरफ कायम किया है जबकि वादी के खेत के पास से रास्ता जाता था जो उनकी बेस कीमती जमीन को हड़पने के उदेश्य के मिली भगत के तहत बनाया है को निरस्त घोषित फरमाते हुए पूर्ववृति नक्शा ट्रेस भौतिक स्थिति को ही राजस्व रिकार्ड नक्शें में कायम रखा जाने की उद्घोषणा फरमायी जावें। (ख) कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई प्रतिबंधित फरमाया जावें कि वे प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 340 जिसके नये खसरा नम्बर 601 को पूर्ववृति राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस के अनुसार ही अंकन फरमाया जावें, वर्तमान सर्वे सीट को जो गलत रुप से नयी सीमाकंन सरहद बनाई है को लागू नहीं किया जावें एवं मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें तथा प्रतिवादीगण अपने यहां से किसी प्रकार का प्रलेख नया रिकार्ड लागू नहीं करें व पूराने रिकार्ड लागू नहीं करें व पूराने रिकार्ड यथावत बनाए रखें। (ग) के अन्य न्यायोचित सहायता जो वादी प्राप्त करने का अधिकार हो प्रतिवादीगण से दिलवायी जावें।

Web Copy - Not Official

दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रकरण रिकॉर्ड दुरूस्ती का होने से तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ हेतु लिखा गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प गनेड़ी में पेश हुई। तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त होने पर रिपोर्ट को शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। साथ ही प्रस्तुत तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ का भी अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट में तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ ने स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि ''वादी धनसुख पुत्र डेडराज अपनी निजी एक खातेदारी की भूमि ख.नं. 601 पुराने ख.नं. 340 रकबा 0.89 है. को पश्चिम दिशा की तरफ स्थित होना बताया है तथा ख.नं. 598 पुराने ख.नं. 339 रकबा 1.88 है. को पूर्व की तरफ स्थित होना बताया है तथा इसी अनुरूप राज्स्व नक्शे में दर्ज करवाना चाहा है। पटवारी की मौका जांच के अनुसार ख.नं. 598 व 601 की सीमायें वादी के बताये अनुसार मौके पर नहीं है। मौके की सीमाऐं भू–प्रबंध विभाग द्वारा नक्शे में दर्ज के अनुसार सही है। प्रार्थी वादी उक्त दोनों खसरों की सीमाओं को रिकार्ड में परिवर्तित करवाकर मौके पर भी परिवर्तन करना चाहता है जो सम्भव नहीं है क्योंकि भू–प्रबंध विभाग द्वारा तैयार नया नक्शा मौके अनुसार सही है।'' उपरोक्त सम्पूर्ण अवलोकन के

आधार पर हस्तगत प्रकरण में वादी को कोई अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है। जिसमें पत्रावली में वर्णित तथ्यों, प्रस्तुत दस्तावेजात, प्रस्तुत रिपोर्ट व पत्रावली के अवलोकन के बाद वादी का वाद साबित नहीं होने से खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः वादी का वाद साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को मेरे द्वारा केम्प कोर्ट गनेड़ी में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– गनेड़ी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस

धनसुख बनाम सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, सीकर आदि

दावा बाबत उद्घोषणा, रिकार्ड दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :– 74/2017 **निर्णय दिनांक– 17.05.2018**

वादी..... व प्रतिवादी.....की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17.05.2018 को अनिल कुमार, आर.ए.एस., पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

वादी का वाद साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

यह आज तारीख 17.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मुहर

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– गनेड़ी

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ..... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– गनेड़ी